

## कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल (म.प्र.)

क्रमांक 2845 /IV-03-03/2018

दिनांक 12/08/2026

### —::— निविदा आमंत्रण सूचना —::—

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल (म.प्र.) के उपयोग हेतु नवीन वॉटर कूलर निविदा दस्तावेज में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत क्रय किये जाने हेतु अनुभवी एवं प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं से निविदा आमंत्रित की जाना है।

उक्त निविदा संबंधी विस्तृत दस्तावेज एवं निविदा के नियत एवं शर्तें माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की वेबसाईट [www.mphc.gov.in](http://www.mphc.gov.in) एवं जिला न्यायालय शहडोल की वेबसाईट <https://shahdol.dcourts.gov.in/notice-category/tenders/> तथा एम.पी. टेंडर पोर्टल [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर उपलब्ध है।

| क्रमांक | विवरण                            | दिनांक एवं समय       |
|---------|----------------------------------|----------------------|
| 01      | निविदा प्रकाशन की तिथि           | 13.08.2026           |
| 02      | निविदा की अंतिम तिथि एवं समय     | 03.09.2026 समय 17:00 |
| 03      | निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय | 04.09.2026 समय 17:30 |

  
कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
शहडोल (म.प्र.)

**कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल (म.प्र.)**

**-:: परिशिष्ट-ए ::-**  
**सामग्री**

| क्रमांक | विवरण                                                                                      | संख्या    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01      | <b>Water Cooler</b><br>(reputed make and model with UV System<br>Capacity - 80/120 Liters) | <b>04</b> |

कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
शहडोल (म.प्र.)

**कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल (म.प्र.)**

**—:: परिशिष्ट—बी ::—**

**तकनीकी बिड में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज**

| क्रमांक | दस्तावेजों का विवरण                         | रिमार्क |
|---------|---------------------------------------------|---------|
| 01      | निविदा की प्रतिभूति रुपये 10,000/— ऑनलाईन   | —       |
| 02      | दुकान स्थापना अधिनियम के तहत प्रमाण-पत्र    | —       |
| 03      | पेन कार्ड                                   | —       |
| 04      | आयकर विवरणी                                 | —       |
| 05      | जी.एस.टी. पंजीयन                            | —       |
| 06      | ऑनलाईन निविदा फीस 1,000/— रुपये जमा की रसीद | —       |

  
कृते—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
शहडोल (म.प्र.)

## कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल (म.प्र.)

### —::— निविदा शर्तें —::—

01— निविदा [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) के माध्यम से निविदायें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल के नाम से दिनांक 03.09.2026 की सांय 05:00 बजे तक सिर्फ ऑनलाईन मोड से ही प्राप्त की जावेगी। उक्त निविदा दिनांक 04.09.2026 को सांय 05:00 बजे जिला न्यायालय में गठित क्रय समिति द्वारा खोली जावेगी।

02— इस निविदा आमंत्रण के अधीन प्रस्तुत प्रस्ताव दो-निविदा प्रणाली के अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे।

अ— प्रथम भाग में तकनीकी निविदा होगी। निविदा से संबंधित दस्तावेज ऑनलाईन जमा किया जाना अनिवार्य है।

ब— द्वितीय भाग में व्यवसायिक/वित्तीय निविदा फार्म होगा जिसमें दर + GST प्रति नग दर (कर सहित) से संबंधित दस्तावेज जमा किया जाना अनिवार्य है, जिसे निम्नानुसार प्रारूप में ऑनलाईन प्रस्तुत करेंगे :-

| Sr.No. | Name of Item<br>(Make & Model) | Item Detail | Warranty<br>Year | Rate/Unit<br>including all<br>taxes |
|--------|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|
|        |                                |             |                  |                                     |

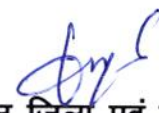
03— निविदा शुल्क राशि रुपये 1,000/- एवं निविदा की प्रतिभूति (Earnest Money) राशि रुपये 10,000/- (शब्दों में- रुपये दस हजार मात्र) [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) ऑनलाईन जमा करनी होगी।

04— कोई भी निविदा बिना कारण बताये पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को होगा।

05— यदि फर्म, निर्धारित अवधि में सामग्री आपूर्ति नहीं कर पाती है तथा प्रदायावधि में विस्तार के लिए अनुरोध भी नहीं करती है, तो बिना कारण बताये सक्षम अधिकारी द्वारा क्रय आदेश निरस्त किया जा सकता है। उक्त स्थिति में फर्म द्वारा पूर्व में जमा निविदा की प्रतिभूति राजसात की जावेगी।

06— क्रय आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के भीतर फर्म को जिला न्यायालय, शहडोल, पाली रोड, सोहागपुर शहडोल (म.प्र.) पिन-484001 में सामग्री सप्लाई किया जाकर देयक की मूल प्रति मय सील एवं हस्ताक्षर के दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। सामग्री न्यायालय तक पहुँचाने जाने का समस्त दायित्व निविदाकार का होगा।

- 07— सामग्री प्राप्त होने से इंस्टालेशन के उपरांत ही बिल ग्राह्य किया जावेगा।
- 08— क्रय की जाने वाली सामग्री प्रदायगी उपरांत निविदा अनुरूप गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक अनुसार पाये जाने पर ही देयक के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी अन्यथा क्रय की गई सामग्री अमानक पाये जाने पर मूलतः विक्रेता के व्यय पर वापस की जावेगी।
- 09— नियत दिनांक एवं समय के पश्चात् निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 10— निविदाकर्ता को निविदा दस्तावेज में मांगी गयी समस्त जानकारी स्पष्ट रूप से भरा जाना एवं निविदा दस्तावेज में किसी प्रकार की कांट-छांट मान्य नहीं होगी। निविदा एवं निविदा के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों में निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील होना आवश्यक है।
- 11— शासन द्वारा लागू जी.एस.टी. की दरें अधिक या कम होने पर विचारणीय होगा एवं सामग्री की दरें समस्त करों सहित दी जावेंगी।
- 12— प्रत्येक निविदाकर्ता को एक ही प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार होगा, जिसे वह व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी संयुक्त फर्म के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। एक पक्षकार द्वारा एक से अधिक प्रस्ताव करने पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 13— जो फर्म मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम में पंजीकृत प्रदायकर्ता के रूप में पंजीकृत है, उन्हें पंजीयन संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
- 14— फर्म को निविदा प्रस्तुत करते समय इस आशय का घोषणा-पत्र देना अनिवार्य होगा कि सामग्री प्रदाय किये जाने हेतु शासन द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया है।
- 15— निविदा प्रस्तुत करते समय निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु सहायक लेखापाल जिला न्यायालय शहडोल के मोबाईल नंबर 9691876277 पर संपर्क किया जा सकता है।

  
 कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
 शहडोल (म.प्र.)